राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर

कार्यालय दूरभाष नं0 0141–2744283, फैक्स नं0 0141–2740568, ईमेल आईडी–rsscjaipur@gmail.com

क्रमांक :   दिनांक :

खुली निविदा संख्या 29 /2026–27

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, **चौगान स्टेडियम, जयपुर** में स्थित नव–निर्मित्त अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल को तैराकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर (HPC) के रुप में संचालन एवं रख–रखाव के लिए 5 वर्ष के अनुबंध हेतु निर्धारित प्रपत्र में द्वि–प्रक्रमी बोली यथा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ई–प्रोक्योरमेन्ट द्वारा ऑनलाईन ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। संबधित पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in तथा www.rssc.in पर देखा जा सकता हैं।

विवरण	:	निर्दिष्ट राशि एवं समय
1. अनुमानित बोली	:	न्यूनतम बोली प्रतिवर्ष के लिए 25.00 लाख रूपये
2. निविदा डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 12/08/2026 समय 04:00 PM
3. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दि. 24/08/2026 दोपहर 1:00 बजे तक
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दि. 25/08/2026 को 02:00 PM बजे

क्र. सं.	शुल्क का विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	जमा कराने की दिनांक	देय
1	निविदा शुल्क	1000/– रूपये	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	दिनांक 24/08/2026 दोपहर 01:00 बजे तक	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर
2	अमानत राशि	अनु. बोली का 2 प्रतिशत राशि रूपये 50000/–	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक		सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर

निविदा शुल्क, प्रक्रिया शुल्क एवं धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर कार्यालय में उपलब्ध बॉक्स में दिनांक 24/08/2026 अपराह्न 01:00 बजे तक ऑफलाईन जमा कराने होंगे जिस पर निविदा के कार्य का नाम, ई–निविदादाता का नाम, डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक स्पष्ट अंकित करे। जिन निविदादाताओं के उपरोक्त वांछित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक निर्दिष्ट समय तक प्राप्त नहीं होगे, उन ई–निविदादाताओं की टैक्निकल बिड नहीं खोली जावेगी। टैक्निकल बिड की जांच में सफल घोषित निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

सचिव

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST

RajKaj Ref No.: 22745582

v-1.0

जिला खेलकदू प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम के नव–निर्मित्त तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु निविदा की शर्तें :–

1. संवेदक का चयन अधिकतम लाईसेंस फीस के आधार पर किया जायेगा। न्यूनतम लाईसेंस फीस 25,00,000/– प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। संवेदक को न्यूनतम लाईसेंस फीस से अधिक ऑफर प्रस्तुत करना होगा। संवेदक को लाईसेंस फीस का 5 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा कर 500 रूपये के ई–स्टाम्प पर निविदा की शतों के अंतर्गत अनुबंध निष्पादन करना होगा।
2. निविदा में ऐसे इच्छुक संवेदक/फर्म ही भाग ले सकेंगे, जो निविदा शुल्क, अमानत राशि परिषद कार्यालय में निर्धारित समय पर ऑफलाईन जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. सह उद्यम या कंसोर्टियम को सम्मलित करते हुए, विधिक संस्था या व्यक्ति निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
4. तकनीकी बोली के साथ संवेदक को निम्न दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगे (जिसके आधार पर तकनीकी बिड का मूल्याकंन किया जायेगा) :–
   - संवेदक को अपने वर्तमान निवास के प्रमाण हेतु आधार कार्ड के साथ पानी/बिजली/टेलीफोन/मोबाईल के बिल अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से कोई एक की प्रमाणित छाया प्रतियां।
   - संवेदक/फर्म के पंजीयन की छाया प्रति।
   - अन्य दस्तावेज चैक लिस्ट अनुसार।
5. तरणताल वर्तमान में जिस स्थिति में है उसे निर्धारित मानकों के अनुसार चालू किये जाने सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था जल शुद्धीकरण निरंतर किये जाने की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
6. संवेदक महिला/पुरुष प्रशिक्षित तैराक एवं तैराकी ट्रेनर तथा सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम रखेंगे, तरणताल पर आने वाले वाक्तियों की संपूर्ण सुरक्षा एवं स्वास्थ की जबाबदारी संवेदक की होगी तथा तरणताल में किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी संपूर्ण जबाबदारी संवेदक की होगी।
7. संवेदक के समस्त कर्मचारियों को निर्धारित वेशभूषा में एवं फोटो युक्त परिचय पत्र सहित रहना अनिवार्य होगा।
8. तरणताल में उपलब्ध उपकरणों के संपूर्ण रख–रखावों एवं सुरक्षा के साथ टूट फूट आदि की मरम्मत कराना एवं स्वस्थ स्थिति में रखने की जबावदारी संवेदक की होगी।
9. अनुबंध प्रारंभ होने के पूर्व समस्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. स्वीकृत निविदादाता को अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपोजिट अनुबंध अवधि तक बैंक गारंटी/एफ.डी आर./डीडी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
11. परिषद द्वारा संबंधित नियम एवं शर्ते तथा स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित जानकारियों को होर्डिंग के माध्यम से लगाये जा सकेगे। तरणताल में किसी भी तरह का व्यवसायिक विज्ञापन संवेदक के लिए पूर्णताः प्रतिबंधित रहेगा।
12. संवेदक को तरणताल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में तरणताल दिया जायेगा। तरणताल की मरम्मत/संयंत्रों/पानी का बोरिंग आदि उपकरणों की मरम्मत का कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा।
13. परिषद् के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अनुबंध अवधि में समय–समय पर निरीक्षण जांच की जावेगी। निर्धारित दर से अधिक वसूली संवेदक को करते पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत/सिक्योरिटी राशि राजसात कर ली जायेगी।

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST

v-1.0

14. किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट संवेदक या संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी/श्रमिक के विरुद्ध दर्ज की जाती है उसकी संपूर्ण जबावदारी संवेदक की होगी और सत्यता पाये जाने पर अनुबंध निरस्त करते हुए जमा राशि राजसात कर ली जावेगी।
15. प्रति माह विद्युत बिल की राशि संवेदक द्वारा देय होगी। अतिरिक्त लोड बढ़ने/बढ़ाने इत्यादि की स्थिति में संपूर्ण देय राशि के लिए राजस्थान विद्युत मंडल के नियमों अनुसार संपूर्ण राशि संवेदक द्वारा देय होगी। राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा यदि तरणताल परिसर में कही भी विद्युत चोरी का प्रकरण बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें परिषद् की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और सत्यता पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
16. राजस्थान विद्युत मंडल के नियमों के तहत संवेदक द्वारा विद्युत संबंधी समस्त कार्यवाही संवदेक द्वारा की जायेगी। किसी भी प्रकार की विद्युत चोरी, दुर्घटना लापरवाही अपव्यय इरियादी के लिए संवेदक का उत्तर दायित्व होगा एवं राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा जो भी जुर्माना अथवा दंड निर्धारित किया जाता है वह संवेदक द्वारा देय होगा।
17. उपकरण क्षतिग्रस्त होने की दशा में उपकरण की पूरी लागत संवेदक से वसूल की जायेगी।
18. तरणताल संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षक महिलाओं एवं पूरुषों के लिए प्रथक–प्रथक नियुक्त किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें नियुक्त प्रशिक्षक नेशनल मेडलिस्ट/ एनआईएस डिप्लोमा होना आवश्यक है। साथ ही सुरक्षा उपकरणों एवं आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा।
19. तरणताल के पानी की शुद्धता अनुसार निर्धारित मानक स्तर पर करना संवेदक की जवाबदारी होगी। इस हेतु स्थापित फिल्टर प्लांट का रख रखाव कैमिकल्स एवं सफाई प्रतिदिन की जाना सुनिश्चित करना होगा।
20. समय–समय पर परिषद् द्वारा किये जाने वाले आवश्यक संशोधनों का पालन करने के लिए संवेदक बाध्य होगा। प्रतिदिन किये जाने वाले टेस्ट हेतु रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा साथ ही समय–समय पर किसी भी शासकीय लैब से पानी का परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा एवं उक्त आशय की एनालिसिस रिपोर्ट परिषद् कार्यालय के संबंधित शाखा मासिक या त्रैमासिक देना अनिवार्य होगा।
21. तरणताल हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं समस्त सुरक्षा उपाय स्थापित करने की जवाबदारी संवेदक की होगी। विपरित दशा में अनुबंध निरस्त करते हुए जमा अमानत राशि/सिक्योरिटी डिपॉजिट जप्त कर ली जावेगी।
22. तरणताल में स्थापित संयंत्रों एवं मोटरों के मेंटेनेंस की जबाबदारी संवेदक की होगी। अनुबंधक की समयावधि समाप्त होने के पश्चात स्थापित संयंत्रों एवं अन्य उपकरणों में यदि खराबी आती है तो उसकी गणना उपरांत जमा अमानत राशि में से कटौती की जायेगी।
23. स्थापित संयंत्र उपकरण एवं प्लांट को चालू एवं अच्छी स्थिति में विभाग को वापस देना होगा।
24. तरणताल में नियुक्त किये गये कर्मचारियों/श्रमिकों की सूची संवेदक द्वारा कार्यालय में देना अनिवार्य होगी जिसमें कर्मचारियों/श्रमिकों के नाम वल्दियत एवं पूर्ण पते का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उन कर्मचारियों को परिचय पत्र भी देना अनिवार्य होगा जो कर्मचारी अपने पास अनिवार्य रूप से रखेगा तथा परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के निरीक्षण के समय मांगे जाने पर उसे दिखाना अनिवार्य होगा।
25. तरणताल संचालन एवं रख–रखाव हेतु संवेदक को निम्नानुसार न्यूनतम कर्मचारी लगाया जाना अनिवार्य होगा :–

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST

v-1.0

Type of Manpower	During Swimming Pool Running	
	Male	Female
Swimming Coach/Trainer	1	1
Plant Operator	1	-
Life Guard	2	-
Saction Sweeper	2	-
Housekeeping Staff	1	-
Security Guard	2	-
Total	**9**	**1**

नोटः— संवेदक द्वारा उक्त अंकित संख्या से कम कार्मिक नहीं लगाये जायेंगे।

26. तरणताल में आने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की जवाबदारी संवेदक की होगी।
27. तरणताल परिसर की साफ—सफाई की समस्त जबावदारी संवेदक की होगी।
28. संवेदक द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
29. तकनीकी प्रस्तावों में सफल संवेदकों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगें जो संवेदक तकनीकी बिड में सफल नहीं पाये गये उनकी वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।
30. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर नियमानुसार संबंधित विभाग में संवेदक द्वारा जमा कराने होगें।
31. उच्चतम संवेदक की अमानत राशि अनुबंध अवधि तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में अमानत राशि के रूप में जमा रहेगी। शेष संवेदकों की अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात् संबंधित संवेदक को कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त लौटा दी जावेगी।
32. अनुबन्ध की अवधि 5 वर्ष है कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध की अवधि अधिकतम 2 वर्ष 6 माह (आरटीपीपी नियमों के अनुसार) के लिए और बढाई जा सकेगी।
33. संवेदक/फर्म को बोली राशि निम्नानुसार जमा करानी होगी :—
    - उच्चतम संवेदक को बोली की सम्पूर्ण राशि तीन किश्तों में कार्यालय सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के खाते में जमा करवानी होगी। प्रथम किश्त राशि में राशि का 1/3 LOA (Letter of Acceptance) जारी होने के 7 दिवस में डीडी/बैंकर्स चैक द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी एवं द्वितीय एवं तृतीय किश्त 4 माह एवं 8 माह पश्चात जमा करवानी होगी, इसके पेटे प्रथम किश्त के साथ ही द्वितीय एवं तृतीय किश्त की शेष राशि के लिए दो अग्रिम चैक सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के पक्ष में परिषद कार्यालय में संलग्न कर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस संबंध में स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा द्वितीय एवं तृतीय किश्त समय—समय पर जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में इन अग्रिम चैक का उपयोग कर लिया जावेगा अन्यथा इन्हें संवेदक को लौटा दिया जावेगा। संवेदक चाहे तो सम्पूर्ण राशि को सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के पक्ष में एकमुश्त भी जमा करवा सकता है।
    - निर्धारित समय पर नियमानुसार अनुबंध राशि कार्यालय सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के कोष में जमा नहीं कराने पर अनुबंध स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संवेदक/फर्म की जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जावेंगी। साथ ही संवेदक/फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
34. उच्चतम संवेदक द्वारा प्रथम किश्त की राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहने पर उसकी जमा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इसके पश्चात् उच्चतम संवेदक के द्वारा दी गई बोली/नीलामी राशि पर कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय उच्चतम संवेदक को पत्र लिखा जावेगा। द्वितीय संवेदक द्वारा स्वीकार करने की स्थिति में राशि

RajKaj Ref No.: 22745582
Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST
v-1.0

LOA (Letter of Acceptance) जारी होने के 7 दिवस में नियमानुसार कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि द्वितीय संवेदक द्वारा उच्चतम संवेदक की दरों पर कार्य करने की असहमति दी जाती है, तो पुनः निविदा जारी की जावेगी।

35. तरणताल संचालन का अनुबंध पांच वर्षो की अवधि के लिये मान्य होगा। प्रथम वर्ष की वित्तीय दरें प्रस्तुत की जावेगी जिसमें अधिकतम दरों के संवेदक को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय होगा। संवेदक का कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बोली राशि पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

36. निर्धारित समय पर अनुबंध राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के कोष में जमा नहीं कराने पर अनुबंध स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा संवेदक/फर्म की जमा समस्त राशियां जप्त समझी जावेंगी। साथ ही, संवेदक/फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

37. तरणताल में तैराकी हेतु आने वाले व्यक्तियों से संवेदक द्वारा निम्नानुसार शुल्क वसूल किया जा सकेगा :—

निर्धारित समय	**निर्धारित राशि**			
	मासिक शुल्क	**60 मिनट शुल्क**	**प्रतियोगिता हेतु प्रति दिवस शुल्क**	
			सामान्य मौसम	**सर्दी मौसम**
0—60 मिनट	3500/—	250/—	10,000/— प्रति घण्टा	15,000/— प्रति घण्टा

नोटः— शुल्क से संबंधित संपूर्ण गाइडलाइन्स का उल्लेख सार्वजनिक स्थान पर बोर्ड लगाकर स्वयं के संसाधनों से करना होगा। उक्त दरों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी।

38. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी खिलाडी एवं राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाडी को सुबह 6 से 9 बजे तक एवं सायं 5 से 8 बजे तक 4 लाईनों में प्रैक्टिस की सुविधा निःशुल्क रहेगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भागी खिलाडियों हेतु निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा।

39. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगिताऐं निःशुल्क रहेगी। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के केवल अधिकारियों/कर्मचारियों को 50 प्रतिशत शुल्क देय होगा।

40. राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत देय होगा।

41. संवेदक/फर्म या उसके प्रतिनिधि निर्धारित दरों के अतिरिक्त कोई राशि वसूली नहीं कर सकेगा। उक्त अवैध वसूली की सत्य/प्रमाणित शिकायत पर निम्नानुसार अर्थदण्ड लगाया जावेगा :—

प्रथम शिकायत पर रू. 10,000/— द्वितीय शिकायत पर रू. 30,000/— तृतीय शिकायत पर रू. 50,000/—
नोटः— उपरोक्त स्थिति में तीसरी सत्य/प्रमाणित शिकायत पर संवेदक की संपूर्ण जमा राशियां जप्त करते हुए अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

42. संवेदक/फर्म के अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि ही तरणताल पर उपस्थित रह सकेंगे एवं संवेदक/फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/प्रतिनिधियों की सूचना अनुबंध स्वीकृति के 7 दिवस के भीतर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/ जिला खेल अधिकारी, चौगन स्टेडियम को उपलब्ध करवाई जावेगी। संवेदक/फर्म या उनके प्रतिनिधियों को तरणताल पर अपने नाम का कार्ड लगाना होगा एवं ऐसा नहीं करने पर अनुबंध शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। कार्ड आदि का व्यय संवेदक/फर्म को स्वयं वहन करना होगा।

43. **<u>परिसम्पति नुकसानी</u>** :—

- परिसमापित नुकसानी के साथ कार्य अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार होगी।

44. संवेदक/फर्म तरणताल पर खिलाडियों के हित में अस्थाई निर्माण करवा सकेगा परन्तु किसी भी प्रकार का स्थाही निर्माण कराने की अनुमति नहीं होगी। यदि इस प्रकार की कोई स्थाई निर्माण किया जाता है तो उसे संवेदक/फर्म के व्यय से काटा जावेगा एवं संवेदक/फर्म के विरूद्ध कार्य वाही की जावेगी।
45. अनुबंध अवधि में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्/जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कभी भी राज्यादेश या जनहित में तरणताल खाली करवाया जा सकेगा एवं इसमें संवेदक/फर्म का किसी भी प्रकार का ऐतराज मान्य नहीं होगा।
46. अनुबंध अवधि की समाप्ति तिथि की अर्द्धरात्रि को यह तरणताल स्वतः ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में निहित हो जावेगी।
47. यदि संवेदक की गलती के कारण राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद/ जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र को तरणताल अनुबंध चलाना पडा तो वैकल्पिक व्यवस्था का खर्चा संवेदक की रिस्क एवं लागत पर होगा तथा उससे वसूल किया जावेगा।
48. अनुबंध स्वीकृति के बाद 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प (संवेदक/फर्म के व्यय पर) पेपर पर अनुबंध की शर्तों अनुसार नियमानुसार सचिव, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर 2 जमानती के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
49. संवेदक/फर्म को तरणताल शुल्क की दरें पठनीय रूप से लिखकर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। ऐसी नहीं करने पर इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।
50. यदि परिषद को संवेदक/फर्म के किसी कृत्य से किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है या दायित्व उत्पन्न होता है तो संवेदक/फर्म इसके लिये पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
51. किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में संवेदक/फर्म की समस्त जमा राशियां जब्त की जावेगी।
52. अनुबंध शर्तों का किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर को होगा।
53. किसी भी विवाद की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
54. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
55. राजकीय/केन्द्र सरकार द्वारा लागू समस्त कर संवेदक द्वारा वहन किये जायेगें तथा इस संबंध में संवेदक किसी भी प्रकार से पुर्नभरण राशि की मांग राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से नहीं करेगा ओर न ही राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा देय होगा। राजकीय/केन्द सरकार द्वारा लागू समस्त कर संवेदक द्वारा जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा और संवेदक की जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
56. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद कार्यालय, जयपुर को होगा।
57. अनुबंध अवधि के दौरान पानी, बिजली एवं तरणताल मरम्मत कार्य संवेदक/फर्म द्वारा स्वयं के खर्च में से वहन किया जावेगा।
58. निर्मित तरणताल की बिल्डिंग को किसी प्रकार की क्षति होती है तो संवेदक/फर्म उसे सही करवायेगा यदि परिषद कार्यालय द्वारा क्षति हुई बिल्डिंग को सही करवाया जाता है तो न्यूनतम राशि 10,000/–रूपये व अधिकतम वैल्यूवेशन के आधार पर नियमानुसार संवेदक/फर्म से वसूल की जावेगी।
59. संवेदक द्वारा तरणताल पर रोजाना साफ–सफाई का कार्य करवाया जाना भी सुनिश्चित करेगा।

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST
v-1.0

60. यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

61. जी.एफ. एण्ड ए.आर.,राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होगें।

तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का चयन QCBS मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा। निविदादाता को तकनीकी निविदा में सफल होने के लिए मूल्याकन प्रपत्र में से कम से कम 100 में से 70 अंक हासिल करना अनिवार्य है। 70 अंक से कम अंक आने पर निविदादाता को तकनीकी निविदा में असफल कर वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी। एच–1 की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

H-1 = Technical Score X 0.70 + Financial Score X 0.30

मैंने/हमने उपरोक्त अनुसार वर्णित भार्तों को भली भाँति पढ लिया एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित समस्त भार्तों की पूर्ण पालना के साथ हमारी फर्म द्वारा दी गई एकमुश्त् अनुबन्ध राशि पर कार्य करने के लिए सहमत हैं।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST

v-1.0

मूल्यांकन प्रपत्र

क्र. सं.	मूल्यांकन	कार्यालय द्वारा अधिकतम निर्धारित अंक (कुल अंक 100)	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)
1.	**फर्म का वार्षिक टर्नओवर :** सत्र 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं वर्तमान में किसी एक वितीय वर्ष में कम से कम 25,00,000 ६– रुपये या उस से अधिक का टर्नओवर होने पर **.20 अंक** सत्र 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं वर्तमान में किसी एक वितीय वर्ष में कम से कम 16,66,000 ६– रुपये या उस से अधिक का टर्नओवर होने पर **.15 अंक** सत्र 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं वर्तमान में किसी एक वितीय वर्ष में कम से कम 8,33,000 ६– रुपये या उस से अधिक का टर्नओवर होने पर **-10 अंक**	**20 अंक अधिकतम**	
2	**तरणताल संचालन अनुभव** सत्र 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 मे सरकारी तरणताल संचालन का अनुभव • 02 या अधिक सरकारी तरणताल **– 20 अंक** • 01 सरकारी तरणताल **– 10 अंक**	**20 अंक अधिकतम**	
3.	**कोचेज/खिलाडी का उपलब्धि स्तरः** **सफल निविदादाता/फर्म में कार्यरत कोच/फर्म द्वारा प्रशिक्षित खिलाडी (तैराक) को निम्न में से अवार्ड प्राप्त किया हो।** यदि मेजर ध्यानचंद, खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, महाराणा प्रताप, गुरू वशिष्ठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता अथवा अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी (ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व चैपियनशिप, दक्षिण एशियाई खेल) **– 25 अंक** यदि अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी खिलाड़ी (ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व चौंपियनशिप, दक्षिण एशियाई खेल) **– 15 अंक**	**25 अंक अधिकतम**	
4.	**कोच अनुभव :** **(आयु 21 से 60 वर्ष के बीच, 5 वर्षों का प्रतिस्पर्धी कोचिंग अनुभव तथा SFI में पंजीकृत आईडी होना अनिवार्य)** NSNIS से खेल कोचिंग में डिप्लोमा तथा अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन (ASCA लेवल–5 या FINA लेवल–3 (फिजिकल सर्टिफिकेशन))। **– 10 अंक** NSNIS से खेल कोचिंग में डिप्लोमा। **– 5 अंक** ID & Certificate संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जाएँगे।	**10 अंक अधिकतम**	
5	**लाईफ गार्ड का अनुभव :** RLSS/YMCA/SGFI or Eqaual Line लाईफ गार्ड–2 का प्रमाण पत्र होने पर **– 10 अंक** RLSS/YMCA/SGFI or Eqaual Line लाईफ गार्ड–1 का प्रमाण पत्र होने पर **–5 अंक** ID & Certificate संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जाएँगे।	**10 अंक अधिकतम**	
6	For best plan of trainning programme for swimmers and talent development. **- 0 से 10 अंक**	**10 अंक अधिकतम**	
7	For best Presentation/Methology of operation and maintenance plan. **- 0 से 5 अंक**	**5 अंक अधिकतम**	

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST

v-1.0

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or
(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST

v-1.0

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

RajKaj Ref No.:
22745582

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST
v-1.0

Annexure C : Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan. The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary Finance (Budget) Department Govt. of Rajasthan, Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST
v-1.0

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST

v-1.0

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST

v-1.0

<u>घोषणा</u>

मैने/हमने **जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम में स्थित नव–निर्मित्त अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु** बोली के नियम एवं शर्तो को भली–भॉति पढ व समझ लिया है। मुझे/हमारी फर्म को किसी भी विभाग द्वारा ब्लेक–लिस्ट नहीं किया गया है। इन शर्तो एवं नियमों के अधीन मैं/हम **जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम में स्थित नव–निर्मित्त अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु** सहमत एवं वचनबद्व हूॅ/है। यदि मेरे/हमारे द्वारा किसी बोली की शर्तों, नियमों अथवा आदेशों का उल्लंघन किया जावेगा तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे/हमारे विरूद्व बोली के नियम/शर्तों के उल्लंधन की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में मुझे/हमें सक्षम/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा तथा इसमें मुझे/हमको कोई आपत्ति/हस्तक्षेप नहीं है।

हस्ताक्षर संवेदक...
नाम/पता ....
....
टेलीफोन नं. ....
दिनांक ....

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST
v-1.0

UNDERTAKING BY THE BIDDER

This is to certify that I/we before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them. I/We have signed all the pages in acceptance of the terms and conditions.

I/We also undertake that I/We will not adopt any malpractices at any stage of bidding/execution.

Signature of the Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST
v-1.0

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE {to be filled by the bidder}

To,

{Tendering Authority},

________________________________,

________________________________,

I/ We………………………………..…………………………………..{Name/Designation} hereby declare/ certify that ……….........
……………………………………………………………………………………....
……………………………...... {Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with Tender with RAJASTHAN STATE SPORTS COUNCIL, JAIPUR.

He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/ clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -
Authorized Signatory: -
Seal of the Organization: -
Date:
Place:

Verified Signature:

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST

v-1.0

Annexure - E

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की चैक लिस्ट

कार्य का नाम :– जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम स्थित नव–निर्मित्त अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु।

संवेदक का नाम व पता ....

....

क्र0 सं0	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या जिस पर संलग्न है
1.	निविदा प्रपत्र मय शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर संलग्न किया।		
2.	तकनीकी बिड़ के निविदा शुल्क एवं अमानत राशि का बैंकर्स चैक/डी.डी. संलग्न है।		
3.	संवेदक/फर्म के पंजीयन की छाया प्रति		
4.	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न है।		
5.	जी.एस.टी. देयता (PAID) प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई। (मार्च, 2026 की) GSTR-3B PERFORMA में		
6.	QCBS मूल्यांकन हेतु आवश्यक प्रपत्र :– 1. Certificate from Chartered Accountant having UDIN for the proof of annual turnover of Firm. 2. तरणताल संचालन का अनुभव प्रमाण–पत्र 3. खिलाडी/कोचेज का उपलब्धि स्तर 4. कोच का अनुभव प्रमाण–पत्र		
7.	PAN No. की छाया प्रति संलग्न है।		
8.	अन्य कोई दस्तावेज जो संवेदक संलग्न करना चाहता है।		

संवेदक के हस्ताक्षर
मय सील

RajKaj Ref No.: 22745582

Digitally signed by RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12 15:30:42 IST
v-1.0

<u>वित्तीय बिड</u>

कार्य का नाम :– जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम स्थित नव–निर्मित्त अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु।

1. बोलीदाता का नाम..
2. डाक का पता ....

....

.

....

.

3. टेलीफोन नं. (कार्यालय)......................................

(निवास) ....

(पैन नं0) ....

FORMAT FOR OFFERED LICENCE FEES

प्रथम वर्ष हेतु न्यूनतम लाईसेन्स राशि	संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष की बोली राशि (समस्त करो रहित)	
	अंकों में	शब्दों में
जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम स्थित नव–निर्मित्त अन्तर्राष्ट्रीय तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव हेतु प्रथम वर्ष के लिए न्यूनतम लाईसेन्स राशि (बोली राशि) 25.00 लाख।		

बोलीदाता/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
मय मोहर

Digitally signed by
RAJKESH MEENA
Designation: Secretary
Date: 2026-08-12
15:30:42 IST
v-1.0